पत्र संख्या- वि0व0 संग्रह/ एन0सी0एल0टी0 /2021-22/ 671 / वाणिज्य कर,

कार्यालय:: कमिश्नर, वाणिज्य कर उ0प्र0
(संग्रह अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक 29 अक्टूबर, 2021

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय-माननीय एन0सी0एल0टी0/ एन0सी0एल0ए0टी0 में विभागीय दावों की पैरवी/बहस हेतु अधिवक्ताओं के पैनल गठन के सम्बन्ध में।

कृपया शासन के पत्र संख्या-डब्लू-59/11-2-2021-14(02)/2021 टी0सी0 दिनांक 28-10-2021 (संलग्न), जिसके साथ न्याय अनुभाग-3 (नियुक्तियां) के पत्र दिनांक 11-10-2021 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए माननीय एन0सी0एल0टी0/ एन0सी0एल0ए0टी0 में विचाराधीन वादों में उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पैरवी/बहस करने हेतु अधिवक्ताओं के पैनल गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी है, से संज्ञानित होने का कष्ट करें।

उक्त पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए आपको निम्न निर्देश दिये जाते हैं-

1- अपने जोन से सम्बन्धित लम्बित वादों की सूची तैयार करें। सूची की प्रति ज्वाइंट कमिश्नर (सर्वोच्च न्यायालय कार्य) को उपलब्ध करायें। ज्वाइंट कमिश्नर (सर्वोच्च न्यायालय कार्य)के पास पूर्व से उपलब्ध केसेज से मिलान कराते हुए स्पष्टता के साथ पेण्डेंसी का आगणन करें तथा समयान्तर्गत प्रभावी पैरवी करायें ।

2- सर्वोच्च न्यायालय कार्य, गाजियाबाद में तैनात अधिकारी ज्वाइंट कमिश्नर (सर्वोच्च न्यायालय कार्य) के निर्देशानुसार पैनल में नामित अधिवक्तागणों से सम्पर्क/समन्वय स्थापित करते हुए माननीय एन0सी0एल0टी0/ एन0सी0एल0ए0टी0 में विचाराधीन वादों के सम्बन्ध में प्रभावी पैरवी कराते हुए विभाग के पक्ष में निर्णय कराने का प्रयास करें।

उपरोक्त निर्गत निर्देशों से अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराते हुए कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। क्रमांक(1), (2) के सम्बन्ध में सूचना संग्रह अनुभाग को साप्ताहिक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

उक्त पत्र कमिश्नर , वाणिज्य कर, उ0प्र0 के अनुमोदनोपरांत जारी किया जा रहा है।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

29.10.2021
(सुनील कुमार राय)
एडीशनल कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

<u>पृ0प0 संख्या व दिनांक उक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1-समस्त ज्वाइंट कमिश्नर(कार्यपालक), वाणिज्य कर, उ0प्र0।

2-ज्वाइंट कमिश्नर (सर्वोच्च न्यायालय कार्य), गाजियाबाद को समस्त संलग्नकों सहित इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नामित अधिवक्तागणों से समन्वय/सम्पर्क स्थापित करते हुए विभागीय दावों के सम्बन्ध में प्रभावी पैरवी कराना सुनिश्चित करें।

3- ज्वाइंट कमिश्नर(आई0टी), वाणिज्य कर, मुख्यालय को एक प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।

एडीशनल कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।

E:\adhivakta abdhikaran-shashan room-W328

संख्या–डब्लू–59 / 11–2–2021–14(02) / 2021 टी0सी0

प्रेषक,

सुनील यादव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

राज्य कर अनुभाग–2 लखनऊः दिनाँक 28 अक्टूबर, 2021

विषयः– मा0 NCLT/NCLAT के वादों की बहस/पैरवी के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–वि0व0संग्रह/NCLT/2021–22/ दिनांक 15 अप्रैल, 2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि न्याय अनुभाग–3 (नियुक्तियाँ) से ई–फाईल के माध्यम से मा0 NCLT/NCLAT में विचाराधीन वादों में उ0प्र0 राज्य की ओर से बहस/पैरवी करने हेतु पैनल अधिवक्ताओं के गठन के संबंध में प्राप्त पत्र को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक यथोक्त

भवदीय,

(सुनील यादव)
उप सचिव।

प्राप्ति पत्रांक 1387
दिनांक 29-10-21
ज्वा0कमि0/डिप्टी कमि0/असि0कमि0
(संग्रह अनुभाग)

NCLT/NCLAT-2021

प्रेषक,

प्रफुल्ल कमल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
राज्य कर विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

न्याय अनुभाग-3(नियुक्तियॉ)

लखनऊ: दिनांक 11/10/2021

विषय- मा0 NCLT/NCLAT में विचाराधीन वादों में उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से बहस/पैरवी करने हेतु पैनल अधिवक्ताओं का गठन।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, मा0 NCLT/NCLAT के समक्ष राज्य कर विभाग से सम्बन्धित विचाराधीन वादों में उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से बहस/पैरवी करने हेतु निम्नलिखित अधिवक्ताओं को उनके सम्मुख अंकित फीस आदि पर पैनल गठित किये जाने की सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते हैं:-

अधिवक्ता का नाम	कार्य के मद/फीस (रू0)
1- श्री यशस्वी वीरेन्द्र 2- श्री अविरल सक्सेना 3- श्री अमित तिवारी 4- श्री प्रियंक खट्टर 5- श्री विकास चौधरी 6- श्री शौर्य कृष्ण 7- श्री कार्तिकेय सिंह 8- श्री आदर्श वर्मा	**बहस की फीस** प्रभावी बहस होने पर रू0 5000/- (रूपया पॉच हजार मात्र) प्रतिदिन प्रति केस। प्रभावी बहस न होने तथा अगली तिथि निर्धारित होने पर रू0 1000/- (रूपया एक हजार मात्र) प्रतिदिन प्रति केस, सुनवाई की अधिकतम पॉच तिथियों तक।

9- सुश्री शुभ्राली पाठक 10- सुश्री स्तुति चोपड़ा 11- श्री अमित यादव 12- श्री राजीव दुवे 13- श्री आशुतोष शर्मा 14- श्री विष्णु शंकर जैन 15- श्री राजकुमार रुहिल 16- श्री विजय चंद जोशी 17- श्री अक्षय सक्सेना 18- सुश्री साक्षी कक्कड़ 19- श्री शान्तनु सिंह 20- श्री गौरव सिंह 21- श्री अजय कुमार प्रजापति 22- श्री वरद द्विवेदी 23- श्री नीरज दुवे 24- सुश्री सुकृति	<u>ड्राफटिंग की फीस</u> रू0 5000/-(रूपया पॉच हजार मात्र) प्रतिशपथ पत्र, रू0 3000/- (रूपया तीन हजार मात्र) प्रतिपूरक शपथ पत्र एवं अप्लीकेशन। <u>विविध व्यय (टाइपिंग फोटो स्टेट आदि)</u> वास्तविक व्यय।

चौहान 25- श्री वैभव महेश्वरी 26- सुश्री सिलविया 27- सुश्री पूजा सागर 28- सुश्री वैशाली सिंह	

2- प्रशासकीय विभाग वादों की पैरवी के पूर्व पैनल अधिवक्ता की आवद्धता/प्रतिवाद आदेश न्याय विभाग से निर्गत करायेगें। आबद्ध अधिवक्ता की फीस का भुगतान प्रशासकीय विभाग द्वारा किया जायेगा। यदि कई प्रकरणों में सूचीबद्ध कर एक साथ सुनवाई होती है, तो एक ही प्रकरण में फीस का भुगतान किया जायेगा।

3- ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-12-169(ई0ओ0)/दस-2021, दिनांक 06.10.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

Signed by प्रफुल्ल कमल
Date: 11-10-2021 16:05:17
Reason: Approved

(प्रफुल्ल कमल)
विशेष सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी,विधि कोष्ठक, मा0 उच्चतम न्यायालय,तेज बिल्डिंग, 08 बी0 चतुर्थ तल, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।

2- सम्बन्धित अधिवक्तागण ।

2- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रफुल्ल कमल)
विशेष सचिव।